अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

महावीर प्रसाद बनाम दयाराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 177/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
13.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा पाण्डूसर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 137/144 की कुल तादादी 23.0880 हैक्टेयर वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 23/08/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
23/8/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब [illegible] में [illegible] दि० 13/9/23 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
13/9/23	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । प्रार्थी से [illegible] नहीं । बाद [illegible] की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं । [illegible] व [illegible] इसी स्टेज पर [illegible] किया जाता है । पत्रावली [illegible] के [illegible] हो [illegible] उपरोक्त उपस्थित हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड मजिस्ट्रेट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner